संख्या [illegible] / II–2008–03(19)/08

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग   देहरादून : दिनांक 16 जून, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में आयोजनेत्तर मदों में सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण हेतु धनावंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1712/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दि0 02.04.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिये वर्ष 2009–10 में सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 2805.07 लाख (रू0 अठाईस करोड़ पांच लाख सात हजार मात्र) की प्राविधानित धनराशि, जिसका विवरण संलग्नक–1 में अंकित है, को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, एवं केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फॉट की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, के नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 आदि की अनुपालना करते हुए तथा निर्गत विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत जहां शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राविधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

5– कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6— निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि त्रैमासिक आवश्यकतानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों में ही किया जायेगा ।

7— विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0—17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8— मासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग त्रैमास के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक—1 में उल्लिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 125/XXVII (2)/2008 दिनांक 15.06.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

संख्या 160 /II—2008—03(19)/08 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
4. वित्त अनुभाग—2
5. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
6. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या(५४) I–2009–[illegible](2)/09 दिनांक [illegible] 2009 का संलग्नक–1

(धनराशि लाख रू0)

क्र. सं.	मद सं0 / नाम	लेखानुदान द्वारा पारित बजट	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
	संख्या–20		
	सिंचाई एवं बाढ़ (राजकीय अनुदान सिंचाई)		
	राजस्व लेखा–		
1	2700–मुख्य सिंचाई		
	800–अन्य व्यय		
	06–प्रमुख अभियन्ता को अनुरक्षित धनराशि		
	29–अनुरक्षण	4.50	4.50
	31–सामग्री एवं आपूर्ति	15.00	15.00
	योग 2700	19.50	19.50
1	20–2701–मध्यम सिंचाई		
	10 गुमरिया योजना		
	101–रखरखाव और मरम्मत 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–अनुरक्षण कार्य		
	29–अनुरक्षण	115.50	115.50
	0202–विशेष मरम्मत		
	29–अनुरक्षण	25.00	25.00
	योग	140.50	140.50
2	[illegible] नहरें		
	101–रखरखाव और मरम्मत 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–अनुरक्षण कार्य		
	29–अनुरक्षण	105.00	105.00
	0202–विशेष मरम्मत		
	29–अनुरक्षण	25.00	25.00
	योग	130.00	130.00
3	12–हरिपुरा / बौर बांध व नहरें		
	101–रखरखाव और मरम्मत 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–अनुरक्षण कार्य		
	29–अनुरक्षण	96.25	96.25
	0202–विशेष मरम्मत		
	29–अनुरक्षण	25.00	25.00
	योग	121.25	121.25
4	13–अन्य सिंचाई योजनायें		
	0101–रखरखाव और मरम्मत 02–अन्य रखरखाव व्यय 0201–अनुरक्षण कार्य		
	29–अनुरक्षण	[illegible]	[illegible]

	0202—विशेष मरम्मत		
	29—अनुरक्षण	25.00	25.00
	योग	113.00	113.00
	अनुदान—20		
	सिंचाई एवं बाढ़ (राजकीय अनुदान सिंचाई)		
	राजस्व लेखा—		
5	14—हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण		
	101—रखरखाव और मरम्मत 02—अन्य रखरखाव 0201—अनुरक्षण कार्य		
	29—अनुरक्षण	24.75	00.00
	योग	24.75	00.00
6	20—शोध संस्थान रूड़की (अव्यावसायिक)		
	101—रखरखाव और मरम्मत 02—अन्य रखरखाव व्यय 0201—अनुरक्षण कार्य		
	29—अनुरक्षण	18.15	18.15
	योग	18.15	18.18
7	80—सामान्य		
	052—मशीनरी तथा उपस्कर		
	03—मशीन क्रय [illegible]		
	26—मशीनें और सज्जा [illegible] एवं [illegible]	00.18	00.18
	02—मरम्मत		
	26—मशीनें और सज्जा [illegible] एवं [illegible]	00.12	00.12
	योग 052	00.30	00.30
8	800—अन्य व्यय		
	05—प्रमुख अभियन्ता की आरक्षित धनराशि		
	29—अनुरक्षण	4.51	4.51
	31—सामग्री एवं आपूर्ति	19.36	19.36
	योग	23.87	23.87
	योग 2701	571.82	547.07
1	2702—लघु सिंचाई		
	03 [illegible] 101—जल दक्षी [illegible]		
	29—अनुरक्षण	484.00	464.00
	योग	484.00	464.00
2	102—लिफ्ट सिंचाई योजनायें		
	03—अनुरक्षण कार्य		
	09—विद्युत देय	302.50	302.50
	29—अनुरक्षण	66.55	66.55
	योग	369.05	369.05
3	103—जलाशय		
	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	29–अनुरक्षण	302.50	302.50
	योग	1210.00	1210.00
	योग 2702	2063.05	2085.05
	संख्या–20		
	सिंचाई एवं बाढ़ (राजकीय अनुदान सिंचाई)		
	राजस्व लेखा–		
1	2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
	01–बाढ़ नियंत्रण		
	103–सिविल निर्माण कार्य		
	03–सिविल निर्माण कार्य		
	29–अनुरक्षण	175.45	175.45
	योग 2711	175.45	175.45
	योग 2700+2701+2702+2711	2829.62	2805.07

(रु0 अट्ठाइस करोड़ पांच लाख सात हजार मात्र)

(एस0एस0जटोलिया)
अनु सचिव